20.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प पंचायत मुख्यालय कोटा (मामचारी) पर पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट नं. 7 उपस्थित। बहस अपील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट के पिता छरवन की मृत्यु के बाद विरासत नामान्तकरण मे अपीलान्ट का नाम राधेश्याम के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया है। जबकि अपीलान्ट का सही नाम राधेश्याम ही है और अपीलान्ट के समस्त कागजात पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड मे नाम राधेश्याम ही दर्ज है पप्पू नाम की कोई सन्तान मृतक छरवन की नहीं है। अपीलान्ट नामान्तकरण सं. 682 दि0 12-6-2000 ग्राम कोटा (मामचारी तह0 करौली मे अपना नाम पप्पू के स्थान पर राधेश्याम से शोधित कराने का अधिकारी है अपीलान्ट को और अपील नामान्तरकरण की जानकारी दि0 11/1/2021 को नकल नामान्तकरण लेने पर हुई है। जानकारी दिवस से अपील अपीलान्टस अन्दर म्याद पेश की है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली मे उपलब्ध [illegible] दस्तावेजो से अपीलान्ट का सही [illegible] राधेश्याम होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मुकर है। अपीलान्ट का पप्पू नाम गलत दर्ज हुआ है जिसे अपीलान्ट संशोधित कराने का हकदार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण नं. 682 दिनांक 12-6-2000 ग्राम कोरा (मामचारी) तह० करौली में अपीलान्ट का नाम पप्पू के स्थान पर राधेश्याम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार करौली को दिये जाते है। तहसीलदार करौली नामान्तकरण से पप्पू का नाम हजफ कर अपीलान्ट का नाम राधेश्याम दर्ज करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे। निर्णय दिनांक 20.10.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner